राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक–प.1(29) गृह–12/कारा/1996 पार्ट   जयपुर, दिनांक :

–: आज्ञा :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2021 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम–7 के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान जेल सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं।

राजस्थान कारागार सेवा में नवनियुक्त अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण हेतु एच.सी.एम. रीपा, जयपुर में दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 09:30 बजे अपनी उपस्थिति देवे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्धारित कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 27.05.2024 को सीधे गृह (ग्रुप–12) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

S. No.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	DATE OF BIRTH	CATEGORY	REMARK
1.	145	916339	SURESH PUROHIT	06-08-1989	GE	-
2.	263	918326	ASHOK CHOUDHARY	20-11-1994	BC	PROVISIONAL
3.	274	916037	PARESH KUMAR PRAJAPATI	30-07-1997	BC	-
4.	277	900106	LAXMAN BISHNOI	15-02-1996	BC	PROVISIONAL
5.	278	902722	MURLI MANOHAR SUTHAR	16-08-1997	BC	PROVISIONAL
6.	306	905274	KOMAL PUROHIT	01-07-1990	GE, WE	-
7.	316	918732	JITENDRA SINGH RATHORE	01-05-1992	GE, EWS	-
8.	1171	911541	DHEERAJ KUMAR MEENA	15-04-1992	ST	PROVISIONAL
9.	1567	900280	VIKAS SOLANKI	01-10-1997	SC	PROVISIONAL

(GE : General, BC : Backward class, WE : Woman, RG : Rajasthan Govt. NG : Non Gazetted, SC : Scheduled Caste, ST : Scheduled Tribe, MB : Most Backward, WD : Widow, TSP : Tribal Sub Plan, UR : Un Reserved, EX : Ex Service Man)

उक्त नियुक्तियाँ राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 से संबंधित माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों एवं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी :–

1. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
2. उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यधीन रहेगी।

RajKaj Ref 7498619

Signature valid
Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.05.24 21:22:42 IST
Reason: Approved

3. इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 7 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
8. इन अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान जेल सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 09:30 बजे (कमरा नं. 1117, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
13. अभ्यर्थियों को दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 27.05.2024 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।

RajKaj Ref
7498619

Signature valid
Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.05.24 21:22:42 IST
Reason: Approved

Office Address – Home (Gr.-12/JAIL) Department, Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Telephone No. 0141-2385590 E-Mail id- jshome123@gmail.com

14. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

15. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

16. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लाई जावेगी।

17. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

18. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के उपस्थित होवें।

19. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

20. कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, शासन उप सचिव मो. नं. 9571491999 एवं श्री कपिल वर्मा, अनुभागाधिकारी मो. नं. 9314508855 से संपर्क किया जावे।

उक्त नियुक्तियाँ आदर्श आचार संहिता, 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/RJ-HP/2024/NS-I दिनांक 01.05.2024 द्वारा निम्न शर्त के तहत प्रदत्त सहमति पर की गई है :–

"No objection from MCC angle subject to the condition that there shall be no mention in this regard by anyone to gain political mileage anyhow."

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दाताराम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (कारागार) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव/वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, हरीश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत

RajKaj Ref
7498619

Signature valid
Digitally signed by Dataram
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.05.24 21:22:42 IST
Reason: Approved

वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित ''**बन्ध पत्र**'', बिन्दु संख्या 16 में अंकित **आपराधिक प्रकरणों** के संबंध मे "**Self declaration**" अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 17 के अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

6. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2)विभाग को उनकी अशा.टीप कमांक प.9(2)कार्मिक/क–4/2/2023/14520 दिनांक 21.05.2024 के कम में।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. वरि. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.05.24 21:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
7498619

सेवा में,

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप–12) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

Photo

विषयः–राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2021 में चयनित राजस्थान कारागार सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण पर उपस्थिति दिनांक 27.05.2024 की स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी/प्रार्थीया का चयन राजस्थान कारागार सेवा संवर्ग में होने के फलस्वरूप दिनांक .... को .... बजे हशिचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर आदिनांक की स्थिति में प्रार्थी/प्रार्थीया की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	चाही गई सूचना	विवरण
1.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी) में	
2.	पिता का नाम (हिन्दी/अंग्रेजी) में	
3.	जन्मतिथि	
4.	लिंग	
5.	वर्ग	
6.	गृह जिला/राज्य	
7.	राजकीय सेवा में होने पर कर्मचारी आई.डी. (Employee I.D.) एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक	
8.	दूरभाष नं./मोबाईल नं.	
9.	ई–मेल आई.डी.	
10.	स्थाई पता	
11.	वर्तमान पता	
12.	मूल निवास स्थान	
13.	आपातकालीन मोबाईल नं.	
14.	दिनांक 27.05.2024 की स्थिति में संतानों की सूचना का विवरण	
15.	अंतिम शैक्षणिक योग्यता	
16.	वैवाहिक स्थिति	
17	वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच/एफआईआर/न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना का पूर्ण विवरण	

हस्ताक्षर मय दिनांक

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...

निवासी...

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2021 क परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में चयन हुआ है। मैं निम्न प्रकार से घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या..................थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या .... है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

3. यह है कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

संविधान के प्रति शपथ पत्र

–:: शपथ पत्र ::–

मै.. शपथ लेता/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मै भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।
(अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)

शपथ कर्ता हस्ताक्षर
नाम :
पिता :
निवासी :
मोबाईल नं०–

::–वचनबन्ध प्रपत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी..

वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।

वचनबद्धकर्ता

::–शपथ पत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................................

निवासी..

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।

शपथग्रहिता

::–सत्यापन::–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता